कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / 25273–79 / 2016–17 दिनांक 28 मार्च 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
दीदार सिंह पब्लिक स्कूल,
जाजऊ, फतेहपुर सीकरी–आगरा ।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **अंग्रेजी माध्यम का मान्यता** प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 30.08.2016 के आवेदन–**दीदार सिंह पब्लिक स्कूल, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी–आगरा** (विद्यालय का नाम, पते सहित)को दिनांक **01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी से कक्षा पॉच तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–

   1. प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षाा नहीं की जाएगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा ।
5. अधिनियम के उपबंध के अनसुार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत हैः और
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः–

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 1600 वर्ग मीटर
   कुल निर्मित क्षेत्र – 960 वर्ग मीटर
   कीडा–स्थल का क्षेत्रफल – हॉ
   कक्षाओं की संख्या –08
   प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष –05
   बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–02–02
   पेयजल सुविधा – हॉ, समर सेबिल द्वारा
   मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– हॉ
   बाधारहित पहुंच – हॉ, डामर रोड

   अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉ
9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी ।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

13. विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (**25273–79**) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा–कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

28.3.17

(दिनेश कुमार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

पृ0सं0/मान्यता/अं0मा0/25273–79/2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज–लखनऊ ।
2–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
5–जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
6–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0 मेरठ।

सेवा में ,

प्रबन्धक,
दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0वि0
जाजऊ फतेहपुर सीकरी,
किरावली, आगरा

पत्रांक : मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ 168 दिनांक– 12/7/2019

विषयः हाईस्कूल नवीन (6–10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 1193/15–7–2019–1(25)/2019 दिनांक 11 जुलाई 2019 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0वि0 जाजऊ फतेहपुर सीक्ररी, किरावली, आगरा को परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2021 से निम्नलिखित सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो के अधीन सभी अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए है। यह मान्यता बालक विद्यालय के रूप में प्रदान की गयी है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा 6–10 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था ,साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 6–10 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अकित विषयो के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संयुक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतो से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एंव शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतो से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

कृ0प0उ0

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी ।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाए मान्य नही होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्व 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी .फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

टिप्पणी –इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार''सुमन'')
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0 / दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 उप सचिव (शिक्षा –7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2 सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,प्रयागराज।
3 सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
4 जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
5 परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार''सुमन'')
अपर सचिव

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
मिशन प्रेरणा

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांकः रा०प०नि० / /2021–22 / लखनऊ दिनांकः 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषय– **एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि **"कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।**

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश **"प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"** के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश / समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकनः रा०प०नि० / 5654 / 2021–22 / लखनऊ / तद्दिनांक
प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7
संख्या- 107 /15-7-2025
लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

विद्यालय प्रबन्धक श्री दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0 विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी, किरावली, आगरा की हाईस्कूल 9-10 की मान्यता प्रत्याहरण किए जाने के संबंध में शिकायतकर्ता श्री सतेन्द्र यादव निवासी 59/5 अजीतनगर खेरिया मोड़ के पत्र दिनांक 13.09.2024 के द्वारा विद्यालय श्री दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0 विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुर सीक्ररी, किरावली, आगरा में कक्षाएं संचालन न करने एवं विद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश न लेने का शिकायती पत्र दिनांक 13.09.2024 परिषद कार्यालय मेरठ में प्राप्त हुआ। उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करने हेतु परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2024 के द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा के पत्र दिनांक 03.10.2024 के द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को कक्षा-9-10 की मान्यता होने के बावजूद भी कक्षा-9 एवं कक्षा-10 में विगत 04 वर्षों से कोई भी छात्र/छात्रायें पंजीकृत नहीं होने के कारण श्री दीदार सिंह पब्लिक उ0मा0 विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी, किरावली, आगरा की हाईस्कूल स्तरकी मान्यता समाप्त करने की संस्तुति सहित आख्या सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र दिनांक 04.12.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

2- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा की संस्तुति के आधार पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण करने के सम्बन्ध में परिषदीय विनियमानुसार 16 (डी) में निहित प्राविधानुसार प्रबन्धकं से सुनवाई करते हुए स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति की मांग करने हेतु अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्रांक मा०शि०प०/मे०/मान्यता/319 दिनांक 05.10.2024 के द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को पत्र निर्गत किया गया। उक्त पत्र के कम में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा के पत्र दिनांक 28.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 04 वर्षों से विद्यालय में न तो पंजीकरण कराया गया और न ही कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। विद्यालय को सरकार निधि से कोई भी अनुदान, भौतिक संसाधन कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रश्नगत विद्यालय श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय, जाजऊ फतेहपुर सीकरी आगरा की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा के पत्रांक मान्यता/4223 दिनाक 03.10.2024 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण किये जाने की संस्तुति की जाती है।

3- उक्त संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त परिषदीय विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्यालय सस्थाधिकारी/प्रबन्धक को विद्यलाय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत कर आख्या की मांग गयी, जिसके कम में प्रबन्धक श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय, जाजऊ फतेहपुर सीकरी, किरावली आगरा ने विद्यालय की मान्यता

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

प्रत्याहरण किये जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं होने का लिखित अभिकथन दिनांक 30.10.2024 ई-मेल के माध्यम से परिषद कार्यालय को प्रेषित किया गया।

4- विद्यालय श्री दीदार सिह पब्लिक उ०मा० विद्यालय जातऊ फतेहपुर सीकरी किरावली, आगरा को प्रदत्त हाईस्कूल 9-10 की मान्यता प्रत्याहरण करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा तव्या प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित अभिकथन दिनांक 30.10.2024 के आधार पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा/ जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर विद्यालय श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय, जाजऊ, आगरा को प्रदत्त हाईस्कूल 9-10 की मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु मान्यता प्रत्याहरण की आयोजित बैठक दिनांक 18.11.2024 में प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचारोपरान्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए प्रश्णनत विद्यालय श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय, जाजऊ फतेहपुर सीकरी किरावली, आगरा की हाईस्कूल 9-10 की मान्यता प्रत्याहरण करने का निर्णय लिया। समिति का उक्त निर्णय शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित है।

6- अत: उक्त वर्णित स्थिति में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा किए गए अनुरोध एवं मान्यता समिति द्वारा दी गयी संस्तुति तथा प्रबन्धक श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय, जाजऊ, आगरा द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अभिकथन तथा प्रश्नगत विद्यालय में गत 04 वर्षों से छात्र/छात्राओं की संख्या शून्य होने के दृष्टिगत विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण को प्रत्याहरित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
4. अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा।
7. प्रबन्धक विद्यालय श्री दीदार सिंह पब्लिक उ०मा० विद्यालय जाजऊ फतेहपुर सीकरी किरावली आगरा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार)
उप सचिव।

ATR UO 2024

Priyanka
Principal
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay
Jajau, Agra

Urvashi
Manager
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya